संख्या-38/2022/3642/ए0सी0एस0-ए0जी0/2022

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विभाग (कृषि अनुभाग-5) लखनऊ: दिनॉक: 13 जून, 2022

विषय: **पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत मृतक कृषक लाभार्थियों के डाटा डिलीट करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक किसान प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के भूमिधर जो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, को पी0एम0 किसान योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने हेतु पी0एम0 किसान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लगभग 2.55 करोड़ से भी अधिक कृषक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।

कृषक लाभार्थियों के मृतक हो जाने के तत्काल पश्चात उक्त लाभार्थियों का डाटा पी0एम0 किसान पोर्टल से डिलीट किया जाना होता है, जिससे कि भविष्य में योजना का लाभ उसके खाते में न जाने पाए। साथ ही साथ उनके पात्र वारिश जो ओपेन सोर्स प्रणाली से प्रार्थना पत्र देते हैं, को शीघ्र सत्यापन कर के उन्हें लाभ दिलाया जाना है।

शासनादेश संख्या- 23/2020/693/12-5-2020-सा0-01/2019, दिनांक 03 जून 2020, 01/2021/33/12-5-2021-सा0-01/2019, दिनांक 14 जनवरी 2021, 12/2021/288/12-5-2021सा0-1/2019, दिनांक 01 मार्च 2021, 28/2021/1693620/12-5099/11/2021, दिनांक- 30 जून, 2021 द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वरासत अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मृतक कृषक की शत प्रतिशत डाटा प्राप्त कर स्टॉप पेमेन्ट कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस व्यवस्था की समीक्षा में यह पाया गया है कि यद्यपि दिनांक 01-01-2019 के पश्चात 18,73,114 लाख कृषकों की वरासत दर्ज हुई है, उसके सापेक्ष मृतक कृषकों के स्टॉप पेमेन्ट की संख्या काफी कम है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर हुए भौतिक सत्यापन में लगभग 3 से 4 प्रतिशत संख्या ऐसे लाभार्थियों की आ रही है, जिनकी मृत्यु हो गई थी, परन्तु स्टॉप पेमेन्ट नहीं किया गया है।

अत: उपरोक्त तथ्यों से इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक लाभार्थियों के खाते में अभी भी योजना की धनराशि स्थानान्तरित हो रही है। अत: जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध तरीके से अविलंब अपेक्षित कार्यवाही करनी आवश्यक है। दिनांक 01.01.2019 से अब तक दर्ज वरासत की संख्या जनपदवार इस पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व विभाग से प्राप्त मृत कृषकों का विवरण भी डिजिटल फार्म में कृषि निदेशक के माध्यम से समस्त उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी अपने नेतृत्व में कृषि विभाग व राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए इन सभी मृतक कृषकों का शत प्रतिशत सत्यापन कर इसकी पुष्टि करा लें कि वह पी0एम0 किसान के लाभार्थी थे अथवा नहीं और अगर थे तो उन्हें स्टॉप पेमेन्ट कर दिया गया है अथवा नहीं। अगर स्टॉप पेमेन्ट नहीं किया गया है तो तत्काल करते हुए बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त धनराशि की वापसी अधिकृत खाते में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रक्रिया की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर से भी की जाएगी। अत: इसकी प्रगति निम्नलिखित प्रारूप पर साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त मृतक की संख्य	मृतक कृषक की संख्या जिनका सत्यापन करा दिया गया है	प्रतिशत सत्यापन	सत्यापन में पाए गए मृतक कृषकों में पी.एम. किसान के लाभार्थी	मृतक कषक लाभार्थी जिनका स्टॉप पेमेन्ट किया जा चुका है	स्टॉप पेमेन्ट से पूर्व तथा किसान के मृतक होने के पश्चात लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित धनराशि	उपरोक्त धनराशि की वसूली	प्रतिशत वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा तथा यह समस्त कार्यवाही दिनांक 15.07.2022 तक पूर्ण की जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से देखा जाएगा।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनउ।

आज्ञा से,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद	कुल वरासत
1	अमरोहा	15262
2	अमेठी	24290
3	अम्बेडकरनगर	35837
4	अयोध्या	29897
5	अलीगढ़	25522
6	आगरा	13148
7	आजमगढ़	97528
8	इटावा	10713
9	उन्नाव	33065
10	एटा	13826
11	औरैया	8584
12	कन्नौज	15650
13	कानपुर देहात	21991
14	कानपुर नगर	18261
15	कासगंज	17689
16	कुशीनगर	43229
17	कौशाम्बी	12794
18	गाजियाबाद	6199
19	गोरखपुर	59651
20	गोंडा	39990
21	गौतम बुद्ध नगर	6134
22	चित्रकूट	8931
23	जालौन	15779
24	झांसी	11150
25	देवरिया	41060
26	पीलीभीत	15602
27	प्रतापगढ	42978
28	प्रयागराज	49896
29	फतेहपुर	22914
30	फर्रूखाबाद	19082
31	फिरोजाबाद	12015
32	बदायूँ	33949
33	बरेली	31888
34	बलरामपुर	11180
35	बलिया	62064
36	बस्ती	36162
37	बहराइच	21519
38	बागपत	8298

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	39	बाराबंकी	22211
	40	बाँदा	14413
	41	बिजनौर	28082
	42	बुलन्द शहर	25439
	43	मऊ	31504
	44	मथुरा	15066
	45	महाराजगंज	30336
	46	महोबा	8220
	47	मिर्जापुर	27713
	48	मुजफ्फर नगर	10332
	49	मुरादाबाद	18051
	50	मेरठ	13754
	51	मैनपुरी	14381
	52	रामपुर	15883
	53	रायबरेली	29981
	54	लखनऊ	17011
	55	लखीमपुर खीरी	31107
	56	ललितपुर	11098
	57	शामली	6302
	58	शाहजहांपुर	27646
	59	श्रावस्ती	9507
	60	सन्तकबीर नगर	24865
	61	सन्त रविदास नग	21524
	62	सम्भल	17604
	63	सहारनपुर	17402
	64	सिद्धार्थनगर	31212
	65	सीतापुर	35948
	66	सुल्तानपुर	44204
	67	सोनभद्र	13355
	68	हमीरपुर	12237
	69	हरदोई	39876
	70	हाथरस	13565
	71	हापुड़	7122
	72	गाजीपुर	57027
	73	चन्दौली	20929
	74	जौनपुर	81360
	75	वाराणसी	33120
		Total	1873114

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।